II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/2074

रामरती पत्नी स्व. ददउवा कोल निवासी झुरखुलू तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र. ....निगराकार

बनाम

01. अच्छेलाल गोड तनय अंगद सिंह गोड निवासी झुरखुलू तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र.

02. शासन म.प्र. ....गैरनिगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959 बिरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक उचेहरा के प्र.क्र.–4अ12/17–18 में पारित आदेश दिनांक 12.10.17

मान्यवर,

उपरोक्त संदर्भ मे निगराकार निम्न लिखित आधार पर निगरानी प्रस्तुत कर बिनयी है:–

संक्षिप्त तथ्य

निगराकार द्वारा मौजा झुरखुलू तह. उचेहरा जिला सतना म.प्र. की आ.नं. 399/1ख,398 का सीमांकन निगराकार जो उक्त आराजियातो का चौहद्दी कास्तकार है उसे सूचना दिये बिना मनमानी तौर पर जो सीमांकन प्रतिवेदन तैयार कराया जाकर सीमांकन आदेश प्राप्त किया गया, उसके संबंध में यह निगरानी निम्न लिखित आधार पर प्रस्तुत कर बिनयी है–

निगरानी के आधार

01. यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन के संबंध में जो कार्यवाही की गई है वह पूर्णतः दोषपूर्ण होने से सीमांकन प्रतिवेदन तथा आदेश पूर्णतः निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/2074

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के प्रकरण क्र. 04/अ-12/17-18 में पारित आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को अनुविभागीय अधिकारी उचेहरा जिला सतना के समक्ष उपस्थित हों। **(बी.एम. शर्मा)** **सदस्य**	